

-:आदेश:-

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, के संचालक मंडल की 111 वी बैठक दिनांक 22-1-2009 के अतिरिक्त प्रस्ताव कमांक-02 में पारित निर्णय के अनुपालन में आदेश कमांक/मंडी/01/नियमन/विविध/10/99/753 दिनांक 09-12-1999 द्वारा आंचलिक उपसंचालकों तथा मंडी समितियों को जारी प्रत्यायोजित प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों में संशोधन कर संलग्न-परिशिष्ट अनुसार नवीन वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिस्थापित किये जाते हैं। प्रत्यायोजित किये गये सभी अधिकार बजट की उपलब्धता, वित्तीय नियमों, राज्य शासन एवं बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों के अंतर्गत ही मंडी समिति द्वारा उपयोग में लाये जायेंगे।

उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(विवेक अग्रवाल)-

प्रबंध संचालक

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

दिनांक 10/02/2009

कमांक/बी/3/1/लेखा/ 3263

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1- प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म०प्र०शासन मंत्रालय, भोपाल ।
- 2- विशेष सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
- 3- निज सहायक, प्रबंध संचालक, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
- 4- अपर संचालक(वित्त)/अपर संचालक, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
- 5- मुख्य अभियंता, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
- 6- संयुक्त संचालक(समस्त)/अधीक्षण यंत्री(समस्त) म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
- 7- उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री, (समस्त) म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 8- अध्यक्ष/सचिव(समस्त) कृषि उपज मंडी समिति ----- जिला ----- की ओर पालनार्थ।
- 9- सहायक संचालक(समस्त)/लेखाधिकारी(लेखा/आडिट)/अनुभाग अधिकारी(समस्त) म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
- 10- पटल प्रभारी/समस्त शाखाओं की पालनार्थ।
- 11- आदेश नस्ती ।

प्रबंध संचालक

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कृषि उपज मण्डी समितियों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का संशोधित प्रत्यायोजन

| अ. क्र. | पुस्तिका का अनु.क्र. | अधिकार का नाम | प्रबंध संचालक/आयुक्त मण्डी | संभागीय उप संचालक | कृषि उपज मण्डी समिति | सचिव, मण्डी समिति | रिमार्क | |
|---------|----------------------|---|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---|--|--|
| | (02) | भण्डार | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | |
| 01. | 21 | स्टेशनरी सामग्री क्रय के अधिकार | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | पूर्ण अधिकार | पूर्ण अधिकार | रु. 25 हजार तक एक समय में | अ. व क के लिए 2000/- रुपये एवं म. व के लिए 1000/- रुपये एक बार में | म.प्र.वित्तीय मंडल भाग-2 परिशिष्ट क्र. 616/71 राजस्व विभाग के जाप क्रमांक 11274/CR-169/71 दिनांक 03 तथा बजट प्रावधान के अधीन |
| 02. | 22 | फार्म, रजिस्टर आदि मुद्रण कराने के अधिकार | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | पूर्ण अधिकार | रुपये 2 लाख तक एक समय में | अ. व म. व के लिए क्रमशः 1 लाख 50 हजार, 25 हजार एवं 15 हजार रुपये एक समय में | अ. व क के लिए 5000/- रुपये एवं म. व के लिए 2500/- रुपये एक बार में | म.प्र.वित्तीय मंडल भाग-2 परिशिष्ट क्र. 616/71 राजस्व विभाग के जाप क्रमांक 11274/CR-169/71 दिनांक 03 तथा बजट प्रावधान के अधीन |
| 03. | 25 | डायरियों तथा कैलेंडरों की खरीदी | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | | | पूर्ण अधिकार | रुपये 1000/- प्रतिवर्ष | म.प्र.वित्तीय मंडल भाग-2 परिशिष्ट क्र. 616/71 राजस्व विभाग के जाप क्रमांक 11274/CR-169/71 दिनांक 03 तथा बजट प्रावधान के अधीन |
| 04. | 26 | नक्शों की खरीदी | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | | | पूर्ण अधिकार | रुपये 1000/- प्रतिवर्ष | म.प्र.वित्तीय मंडल भाग-2 परिशिष्ट क्र. 616/71 राजस्व विभाग के जाप क्रमांक 11274/CR-169/71 दिनांक 03 तथा बजट प्रावधान के अधीन |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|
| 05. | 32 | फर्नीचर, कूलर, पंखे क्रय करने व अन्य मौसमी व्यय स्वीकृति के अधिकार | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | पूर्ण अधिकार | रु. 75 हजार की सीमा तक प्रतिवर्ष | अ-50 हजार ब-35 हजार स-25 हजार द-10 हजार रुपये प्रतिवर्ष | | भाण्डार क्रय नियमों के अनुसार एवं स्वीकृत बजट प्रावधान की सीमा तक | |
| 06. | 33 | भाण्डार के लिए विविध सामग्री क्रय के अधिकार | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | पूर्ण अधिकार | रु. 50 हजार तक एक वर्ष में | अ-बर्ष 40 हजार एवं स,द 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष | अ-10000/-, ब-7500/- स-5000/-, एवं स-2500/- रुपये प्रतिवर्ष | भाण्डार क्रय नियमों के अनुसार एवं स्वीकृत बजट प्रावधान की सीमा के अधीन | |
| 07. | 34 | पारदर्शक तथा कम्प्यूटर स्टेशनरी क्रय की स्वीकृति | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | पूर्ण अधिकार | रु. 50 हजार व्यय सीमा तक पूर्ण अधिकार | रु. 25 हजार वार्षिक व्यय सीमा तक पूर्ण अधिकार | अ,ब,न, एवं द को क्रमशः रुपये 5000/- 4000/-, 3000/- एवं 2000/- | भाण्डार क्रय नियमानुसार एवं बजट प्रावधान की सीमा तक वार्षिक व्यय सीमा तक | |
| 3. निर्माण | | | | | | | | | |
| 08. | 36 | मण्डी परिसर में छोटे-मोटे निर्माण कार्य करना। | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | | | रु. 1.00 लाख तक वार्षिक व्यय सीमा तक पूर्ण अधिकार | | | |
| (04) मशीनरी एवं उपकरण | | | | | | | | | |
| 09. | 44 | धर्मकांटा क्रय की स्वीकृति | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | पूर्ण अधिकार | | | | उपरोक्त कार्य के लिए कार्यलय की अनुमति | |
| 10. | 44 बी | श्लोक द्रुमिक तौलकांटा | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | पूर्ण अधिकार | | | | | |
| 11. | 46 बी | जनरेटर मरम्मत | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | पूर्ण अधिकार | | रु. 25 हजार वार्षिक व्यय की सीमा तक पूर्ण अधिकार | अ,ब के लिए रुपये 5 हजार एवं स, द को लिए 2500 रुपये वार्षिक व्यय सीमा तक | भाण्डार क्रय नियमों के अनुसार एवं बजट प्रावधान की सीमा तक | |


 1/11/21

| | | | | | | | | |
|-----------|----|---|-----------------------------|--------------|--|--|--|---|
| 12. | 50 | वाहन एवं मशीनरी किराए पर लेने के अधिकार | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | पूर्ण अधिकार | रु. 50 हजार वार्षिक व्यय की सीमा तक पूर्ण अधिकार | रु. 25 हजार वार्षिक व्यय की सीमा तक पूर्ण अधिकार | अ.ब.स. एवं द के लिए ब्रम्हा: रुपये 5000, 4000, 3000, 2000/- वार्षिक व्यय सीमा तक | म.प्र.वित्तीय संहिता भाग-2 के परि. क्र. 6(17) अनुसार अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही वाहन किराये पर लिया जाए कि नियमित कार्यालय उपयोग के लिए बोर्ड द्वारा जारी निर्देश के अनुसार |
| 13. | 51 | वाहन के टायर ट्यूब, बैटरी, पेट्रोल, आईल क्रय करने का अधिकार | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | | | पूर्ण अधिकार | रु. 5 हजार तक एक समय में | वित्तीय अधिकार पुस्तक 1995 'खंड' 3 सरल क्रमांक 16 परिवहन विभाग ज्ञाप क्रमांक/22- 26-92 /आठ दि. 11.06.93 तथा बजट प्रावधान सीमा के अधीन। |
| 14. | 52 | वाहन मरम्मत के अधिकार | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | | विहित सीमा से 50 प्रतिशत अधिक तक अधिकार | निर्धारित सीमा के भीतर पूर्ण अधिकार | रुपये 2000/- प्रति वाहन एक वर्ष में। | बजट प्रावधान तथा राज्य शासन द्वारा नियमित कार्यालयों के अनुसार |
| (6) विविध | | | | | | | | |
| 15. | 55 | आहरण एवं वितरण के अधिकार | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | | | | सचिव एवं लेखापाल के संयुक्त हस्ताक्षर से पूर्ण अधिकार | अध्यक्ष/भारसाध्यक अधिकारी एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से |
| 16. | 57 | ऐसे कानूनी वादों के लिए अग्रिम जिनमें मण्डी समिति एक पक्षकार हो | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | | | पूर्ण अधिकार | अ. व 10000/- एवं स. द 5000/- रुपये एक समय में। | नियमों के अन्तर्गत वादों पर म.प्र.वित्तीय संहिता भाग-1 नियम 27 के अनुसार लिये समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशानुसार |

10/1

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|-----------------------------------|--------------|--|---|---|--|
| 17. | 60 | शासक खरीद व विपणन भुगतान | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | | | | पूर्ण अधिकार | वशत क्रय नियमों का पालन किया गया हो तथा म.प्र.वित्तीय सहिता भाग-2 के परिशिष्ट 6(63) अनुसार |
| 18. | 67 | कम्प्यूटर, फैब्रिक मशीन, इंटरनेट तथा पी.ए.की. एकत्र. के मरम्मत की स्वीकृति | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | पूर्ण अधिकार | 20000/-रूपये तक एक वर्ष में। | 10000/-रूपये तक एक वर्ष में। | 5000/- रूपये तक एक वर्ष में | बजट प्रावधान की सीमा तक एवं भण्डार क्रय नियमों का पालन करने की शर्त पर |
| 19. | 69 | मंडी समिति के कार्य हेतु बैठक व चर्चा हेतु व्यक्तियों के लिए स्वागत/बैठक व्यय,स्वलाभा व्यय की स्वीकृति के अधिकार | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | पूर्ण अधिकार | 25000/-रूपये वार्षिक व्यय सीमा | रूपये 5000/- तक एक समय में | रूपये 2000/- तक एक समय में। | शासन द्वारा विहित नियमों की शर्तों का पालन करने की शर्त पर |
| 20. | 71 | फर्नीचर की मरम्मत की मंजूरी | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | पूर्ण अधिकार | | अ.ब. 30हजार रूपये एवं स.द. 20हजार रूपये वार्षिक व्यय सीमा तक | अ. ब.-10000/- रूपये एवं स. द. 5000/- रूपये वार्षिक व्यय सीमा तक | बजट प्रावधान, आवश्यकता व औचित्य प्रतिपादन के तहत म.प्र. वित्तीय सहिता भाग- 2 के धारा 6 के पैरा 27 अनुसार। |
| 21. | 73 | आकारवाक (विविध व्यय) की स्वीकृति के अधिकार | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | पूर्ण अधिकार | रूपये 25000/-रूपये वार्षिक व्यय की सीमा तक | रु. 20000/- वार्षिक व्यय की स्वीकृति के अधिकार | अ. ब.-10000/- रूपये एवं स. द. 5000/- रूपये वार्षिक व्यय सीमा तक भण्डार क्रय नियमों व बोर्ड/शासन निर्देशों के पालन की शर्त पर | |

7/10/18

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|-----------------------------|--------------|---|--|--|---|
| 22. | 74 | अनुपयोगी सामग्री अपलेखन व विक्रय के अधिकार | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | पूर्ण अधिकार | 25000/-रूपये वार्षिक व्यय की स्वीकृति के अधिकार | रु. 20000/- वार्षिक व्यय की सीमा तक | अ. व. -10000/- रूपये एवं स. द. 5000/- रूपये वार्षिक व्यय सीमा तक | म.प्र. वित्तीय, संविधान, भाग-1 के नियम 22 से 28 तथा 141 में उल्लेखित नियमों के अनुसार |
| 23. | 84 | औजारों, गौण उपकरणों तथा मानचित्रों के क्रय की मंजूरी | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | पूर्ण अधिकार | 10000/-रूपये वार्षिक व्यय की सीमा तक पूर्ण अधिकार | 5000/-रूपये वार्षिक व्यय की सीमा तक पूर्ण अधिकार | अ. व. -2000/- रूपये एवं स. द. 1000/- रूपये वार्षिक व्यय सीमा तक | भण्डार क्रय नियमों के प्रावधानों का पालन करते हुए। |
| 24. | 89 | टेलीफोन यंत्र के सुधार की स्वीकृति | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | - | - | पूर्ण अधिकार | रूपये 500/- तक एक समय में। | भण्डार क्रय नियमों का पालन करने की शर्त पर। |
| 25. | 90 | मृत स्कन्ध की अन्य वस्तुओं, जिसमें सर्वेक्षण साचित्र तथा उपकरण शामिल है, को क्रय की मंजूरी देना | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार | पूर्ण अधिकार | 10000/-रूपये एक वर्ष में | रूपये 5000/- एक वर्ष में | अ. व. -2000/- रूपये एवं स. द. 1000/- रूपये वार्षिक व्यय सीमा तक | क्रय की औचित्य प्रतिपादन की शर्त पर म.प्र. वित्तीय संहिता भाग-2 के परिशिष्ट 6(40) (41) अनुसार |

कृषि उपज मण्डी समितियों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के प्रत्यायोजन संबंधी पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 42 अनुक्रमांक 20 अ, पृष्ठ क्रमांक 46 अनुक्रमांक 35, पृष्ठ क्रमांक 48 अनुक्रमांक 39 एवं 43, पृष्ठ क्रमांक 56 अनुक्रमांक 63, पृष्ठ क्रमांक 58 अनुक्रमांक 9 को अप्रासांगिक होने के कारण विलोपित किया जाता है।



अपर संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल